आयोजनेत्तर

संख्या–215/XXIV(8)/2006–56/2004

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 25 मार्च,2006

विषय:– पालीटेक्निक संस्थाओं के लिए वेतन मद की बचत से मजदूरी एवं जलकर में पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–3386/नि.प्रा.शि./एका0 बजट /2005–06 दिनांक 28.2.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के अनुसार, पालीटेक्निक संस्थाओं के लिए वेतन मद की बचत से मजदूरी एवं जलकर में पुनर्विनियोग द्वारा क्रमशः रू0 4.32 लाख एवं रू0 3.00 लाख अर्थात कुल रू0 7.32 लाख (रूपये सात लाख बत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 में आय व्ययक में उल्लिखित धनराशि संलग्न पुनर्विनियोग के प्रपत्र के कालम–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग प्रपत्र के कालम –1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

3– व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।

4– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–1306/वित्त अनुभाग–3/2006 दिनांक 24.3.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. वित्त अनुभाग–3।
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

24030603 5

प्रपत्र बी0एम0–15 पुनर्विनियोग प्रपत्र

(पैरा–156)

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल शासन।

अनुदान संख्या–11 (धनराशि हजार रूपयें में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण (मानक मद)		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना हैं (मानक मद)	पुनर्विनियोग के बाद कालम–5 में कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कालम –1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5	6	7	8
2203– तकनीकी शिक्षा– आयोजनेत्तर 00–105– बहुशिल्प (पाली0) विद्यालय 03– सामान्य पाली0 00–					2203– तकनीकी शिक्षा– आयोजनेत्तर 00–105– बहुशिल्प (पाली0) विद्यालय 03– सामान्य पाली0 00–			मजदूरी एवं जलकर जैसे आवश्यक भुगतान हेतु
01–वेतन	50000	50000						
03– महंगाई वेतन	15000	15000						
06– अन्य भत्ता	5500	5157		343	02– मजदूरी– 432	4032		
48– महंगाई वेतन	25000	24611		389	10– जलकर– 300	600		
	95500							
योग		**94768**		**732**	**732**	**1464**		

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लेखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता हैं।

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या–1306 / 2006
देहरादून : दिनांक 24 मार्च,2006

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल, (लेखा एवं हकदारी)
ओवेराय बिल्डिंग,
माजरा, सहारनपुर रोड,
देहरादून।

एल0एम0 पन्त
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराचल।
2. कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. वित्त अनुभाग–3।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

11– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– 104– बहुशिल्प – आयोजनागत–91–जिला योजना–9101– पालीo का सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–1229/वित्त अनुभाग–3/2006 दिनांक 24.3.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
8. जिलाधिकारी चमोली, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूं / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

आयोजनागत/ जिला योजना
संख्या–192/XXIV(8)/2006

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 24 मार्च,2006

विषयः– **जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय पाली0 गौचर के आवासीय भवन हेतु पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2321/नि0प्रा0शि0/जिला योजना/2005–06 दिनांक 26.10.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पाली0 गौचर के टाइप –4 के एक आवास एवं टाइप–1 आवास निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–82/प्रा0शि0/2003 दिनांक 29.3.2003 द्वारा रू0 10.82 लाख के आंगणन पर वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या–950/XXIV(8)/ 2005 दिनांक 9.12.2005 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 0.82 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कार्यो के लिए कुल रू0 18.25 लाख के पुनरीक्षित आंगणन पर प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, अवशेष धनराशि रू0 18.25 लाख– रू0 10.82 लाख = रू0 7.43 लाख के सापेक्ष रू0 5.31 लाख (रूपये पांच लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि, संख्या–416/XXIV(8)/ 2005– 56/2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा जिला योजना– पालीटेक्निक का सुदृढ़ीकरण– वृहद निर्माण कार्य हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 27.12 लाख में से, प्रदान करते हुए व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा शेष शर्त पूर्व में जारी उक्त शासनादेश के अनुसार रहेगी।

240306035